

झारखण्ड सरकार
श्रमायुक्त का कार्यालय
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

PPP के आधार पर Super Specialty अस्पताल निर्माण एवं संचालन हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के अधीन गठित भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा असंगठित क्षेत्रों के निबंधित भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के चिकित्सा के निमित्त पलामू एवं दुमका में एक-एक 100 बेड वाले Super Specialty अस्पताल के निर्माण कराने का प्रस्ताव है।

2. इस हेतु Super Specialty अस्पताल संचालन करने वाले तथा इस क्षेत्र में 05 (पाँच) वर्ष का अनुभव रखने वाले Interested Parties / Firms से इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।
3. उक्त अस्पताल संचालन हेतु भवन अथवा इसके लिए राशि, भवन के लिए वांछित भूमि लीज पर उपलब्ध इस शर्त पर कराया जायेगा कि Super Specialty अस्पताल प्रबंधन द्वारा अपने अस्पताल में भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधित श्रमिकों/लाभुकों को कम से कम 50 प्रतिशत बेड एवं निःशुल्क चिकित्सा (दवा एवं ऑपरेशन/जाँच के खर्च सहित) के आधार पर उपलब्ध करायेंगे।
4. Interested Parties / Firms मुहरबंद लिफाफे में इच्छा की अभिव्यक्ति उक्त 100 बेड Super Specialty अस्पताल के निर्माण के लागत खर्च/आधारभूत संरचना (नक्शा एवं डिजाईन के साथ), उपलब्ध कराये जाने वाली चिकित्सा सुविधायें तथा चिकित्सकों के ब्यौरे के साथ विस्तृत प्रस्ताव संयुक्त श्रमायुक्त, श्रमायुक्त का कार्यालय, श्रम भवन, डोरण्डा, राँची को दिनांक 17.07.2014 के अपराहन 5:00 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. इच्छा की अभिव्यक्ति में उपलब्ध कराये जाने वाले Super Specialized विभागों का विवरण, अतिविशिष्ट चिकित्सकों की संख्या, Interested Parties / Firms की आर्थिक स्थिति एवं कार्यानुभव को स्पष्ट रूप से अंकित की जाय।

संयुक्त श्रमायुक्त,
श्रमायुक्त का कार्यालय,
श्रम भवन, डोरण्डा, राँची।

Also visit : prdjharkhand.in

IPRD -113518 (Labour Employment and Training) 12-13